

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1984/आषाढ़ 18, 1906
No. 318] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1984/ASHADHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह रसग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1984

का. आ. 495(अ) —केंद्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मद्रा छलसाधक
(संपत्ति समग्रहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 27 की उप-धारा (2)
के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार
के वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं बीमा विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 41(अ);

[फा.सं. 1205/एफ.सं. 414/2/76-आई.टी. (आई.एन.वी.)], तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, स्तम्भ 2 में क्रम सं. 2 के सामने “श्री वी. वी. एस. सास्त्री” के स्थान पर “श्री एन.पी. धीर” रखा जाएगा।

[नं. 5896/फा. सं. प्रशा. (18)/80-आई.टी. (आई.एन.वी.-3)]
के. डी. गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 9th July, 1984

S.O 495(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT(Inv)] dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said Order, in Column (2), against Serial No. 2, for “Shri V. V. S. Sastry”, “Shri L. P. Dhir” shall be substituted.

[No. 5896/F. No. Admn. (18)/80-IT(INV-III)]

K. D. GUPTA, Dy. Secy.